न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

शिवचरण मीणा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
07 / 2012 / प्रा.पत्र / 2012	31.05.2012	11.11.2022

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

............प्रार्थी

बनाम

1–दूध विक्रेता श्री मोहम्मद शरीफ पुत्र श्री बच्छू खां दूध वाले निवासी गुलजार बाग गर्ल कॉलेज के पास टोंक जिला टोंक

........अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अभिभाषक श्री हंसराज धाकड़ व अप्रार्थी श्री मोहम्मद शरीफ।

:–**निर्णय**–:

दिनांक 11.11.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 07.02.2012 को समय 11:50 एएम पर मछली मार्केट काफला बाजार टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर दूध विक्रेता श्री मोहम्मद शरीफ पुत्र श्री बच्छू खां दूध वाले अपनी मोटर साइकिल आर. जे. 26 3एम 8647 पर खाद्य पदार्थ दूध विक्रय करने हेतु दो ड्रम (20–20 लीटर क्षमता के) लेकर आ रहा था, को रूकवाकर अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा विक्रेता से पूछने पर विक्रेता ने अपना नाम मोहम्मद शरीफ बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त दूध का निरीक्षण करने पर पाया कि दो ड्रमों में लगभग 30 लीटर **मिश्रित दूध** रखा हुआ था, जिसका निरीक्षण देखने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री मोहम्मद शरीफ को गवाह के सामने फार्म नं. 5 ए में नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता श्री मोहम्मद शरीफ के अंगूठे की निशानी ली एवं गवाह के हस्ताक्षर तथा स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कर मिश्रित दूध को अच्छी तरह हिलामिला कर दो लीटर **मिश्रित दूध** खरीदा,जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **मिश्रित दूध** को हिलाकर एकरूप कर विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतलें दिखाकर उक्त खरीदशुदा **मिश्रित दूध** को प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर डालकर प्रत्येक बोतल में 40 प्रतिशत फॉर्मेलिन की 40–40 बूंदे डालकर बोतलों को ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–233 दर्ज किया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–233 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./12/763 दिनांक 02.03.2012 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट सं. एल.एस./150/एफएसएसए/2012/159 दिनांक 17.02.2012 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **मिश्रित दूध अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 07.09.2012 को श्री महावीर तोगडा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय चाहा। दिनांक 27.09.2013 को जवाब पेश कर बहस हेतु समय चाहा। आज दिनांक 11.11.2022 को अभिभाषक तथा अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुए एवं अपनी बहस में अपना जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मिश्रित दूध** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मिश्रित दूध** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 11.11.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(शिवचरण मीणा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0